अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–प्र०–7 / विविध (आरोप)–269 / 2014, 196 पटना / दिनांक 23-11-16

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–98 के कि०मी० 141 में उच्चस्तरीय पुल के निर्माण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद के द्वारा संवेदक मेसर्स अजय इंजिकॉन प्रा०लि०, हरिहर सिंह रोड, मोराबादी, राँची के साथ एकरारनामा सं०–SBD-01/2009-10 किया गया। एकरारनामा क अनुसार एकरारित राशि ₹ 9,70,02,666 / – थी । एकरारनामा के अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि 10.11.2009 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24 माह (09.11.2011) निर्धारित थी।

2. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्र० सं०–4, पथ निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–98 के कि०मी० 141 में निर्मित उच्चस्तरीय पुल की जाँच दिनांक–07.12.2012 से 08.12.2012 तक की गई तथा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–191 (अनु०) गो०, दिनांक–13.12.2012 समर्पित किया गया। समीक्षोपरांत आरोपित संवेदक मेसर्स अजय इंजिकॉन प्रा०लि० से विभागीय पत्रांक–1336 (ई०) दिनांक 28.02.2013 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कारणपृच्छा की गयी :–

2.1. विषयांकित पुल के अम्बा की ओर एवं औरंगाबाद की ओर वाला Approach slab एवं Approach Road sink कर गया है।

2.2 पुल के Expansion joint का Fabrication एवं Fixing proper नहीं है।

संवेदक से कारणपृच्छा अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–2626 (ई०) दिनांक–20.04.2015 एवं पत्रांक–3318 (ई०) दिनांक 26.05.2015 के द्वारा अन्तिम रूप से स्मारित किया गया।

3. उक्त के आलोक में संवेदक मेसर्स अजय इंजिकॉन प्रा०लि० के पत्रांक–AEPL/06 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा कारणपृच्छा उत्तर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसका मूल बिन्दु निम्नवत् है :–

3.1 विषयांकित कार्य स्थल घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ आये दिन नक्सलियों द्वारा बन्द की घोषणा एवं अपराधिक घटनाओं को अनजाम दिया जाता है। दिनांक 09.10.2011 को नक्सलियों द्वारा पुल के कार्य स्थल पर मेरे अनेक ट्रीपर, डोजर, लोडर, जेसीबी, रोलर एवं जनरेटर को जला दिया गया था। साथ ही साथ निर्माण कार्य में संलग्न ऑपरेटर एवं मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया था। अतः कार्य कई दिनों तक बन्द था। बावजूद स्थानीय प्रशासन एवं विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया था।

3.2 राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–98 के किलोमीटर 141 में पुल एवं पुल के Approach पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा पूर्णतः विशिष्टी के अनुरूप एवं एकरारनामा के शर्त्तो के अनुसार करवाया गया था।

3.3 कार्य कराने में दृष्टिगत किसी त्रुटि को पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप सुधार कार्य मेरे व्यय पर मेरे द्वारा कराये जाने का प्रावधान भी एकरारनामा में है।

3.4 त्रुटि संख्या–01 के संबंध में संवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि Approach Slab एवं Approach रोड का थोड़ा धसना एक–दूसरे से संबंधित घटना है। Approach Slab के थोड़ा धसने के कारण ही Approach Slab का अपार्टमेन्ट से दूर छोर वाला अंश थोड़ा Sink कर गया है। नवनिर्मित उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के अधिक उंचाई वाले Approach रोड में कालान्तर में हल्का Settlement प्रायः होते रहने की प्रबल सम्भावना रहती है। इस तरह के अनेकानेक दृष्टान्त पथ निर्माण विभाग द्वारा उच्चस्तरीय पुल में प्रायः देखा गया है। Approach में हल्का सेटलमेन्ट के कारण Approach स्लैब में अपार्टमेन्ट में निर्मित Expansion Joint में थोड़ा विचलन हुआ। इसके फलस्वरूप Expansion Joint का भी पुनः निर्माण करने की अनिवार्यता हुई।

उपर्युक्त सभी त्रुटियों को पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप मेरे माध्यम से मेरे व्यय पर सम्पन्न करा दिया गया था एवं एन०एच० 98 के उक्त पथांश में निरन्तर भारी वाहनों का आवगमन तीन वर्षो से हो रहा है।

3.5 त्रुटि संख्या–02 के संबंध में संवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आलोच्य पुल में पुल निर्माण के समय Expansion Joint को पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप Febricate कर Fix किया गया था। स्वतः स्पष्ट है कि उक्त हल्का सेटलमेन्ट के कारण Expansion Joint Distrub हो गया। इसका पुनः निर्माण पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप मेरे व्यय पर करा दिया गया था।

दिनांक 07.12.2012 एवं 08.12.2012 को उपर्युक्त सुधार कार्य अन्तिम चरण में चल रहा था जिसे कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04 द्वारा देखा गया था। इसी पृष्ठ भूमि में कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन–191 दिनांक 13.12.2012 के अन्त में व्यक्त मंतव्य के चरण में परामर्श दिया गया था कि Expansion Joint के Febrication को Proper कराने की आवश्यकता है।

जांच पदाधिकारी के इस मंतव्य का पूर्ण अनुपालन मेरे माध्यम से मेरे व्यय पर एकरारनामा के अनुसार सम्पन्न करा दिया गया था तथा भारी वाहनों का परिचालन अवाध गति से तीन वर्षो से सुगमता पूर्वक हो रहा है।

संवेदक द्वारा उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस मामले को माफ करने का अनुरोध किया गया ।

4. संवेदक द्वारा समर्पित कारणपृच्छा उत्तर प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–6378 (ई०) दिनांक 01.10.2015 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद को कारणपृच्छा में किये गये दावे की बिन्दुवार समीक्षा कर स्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5. उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद के पत्रांक–02 दिनांक 02.01.2016 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसका मूल बिन्दु निम्नवत् है :–

5.1 संवेदक द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का DLP कार्य का तीन वर्ष है जो दिनांक 29.06.2015 को समाप्त हो गयी है।

5.2 उपर्युक्त पुल के Approach Slab पुनः Sink कर गया है। Approach Road की हालत काफी खराब है। वर्त्तमान में Expansion Joint अभी ठीक है। पुल के Super Structure में Bearing coat कई जगहों से उखड़ गया है। वर्त्तमान में पुल को भौतिक रूप से देखने में पता चलता है कि स्थिति ठीक नहीं है।

6. उक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत पाया गया कि संवेदक द्वारा विषयांकि कार्य में अनियमितता बरती गयी है एवं संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (ii) में एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक हेतु विभागीय ज्ञापांक–4104 (ई०) दिनांक 28.10.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में संवेदक मेसर्स अजय इंजिकॉन प्रा०लि०, हरिहर सिंह रोड, मोराबादी, राँची (निबंधन संख्या–अ०प्र० / श्रेणी–1 (प्रथम)–78 / 2007 पथ) को अगले दो वर्षो के लिए निलंबित किया जाता है।

22/11/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– –7 / विविध (आरोप)–269 / 2014–7639(E) / पटना, दिनांक 23-11-16

निबंधित **प्रतिलिपि** :– मेसर्स अजय इंजिकॉन प्रा०लि०, हरिहर सिंह रोड, मोराबादी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/11/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 7 / विविध (आरोप)–269 / 2014– 7639(E) / पटना, दिनांक 23-11-16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / आयुक्त एवं सचिव / सचिव, प०नि०वि० / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / ऊर्जा विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

P.T.O